न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/10194/2004/बाडमेर</u>

1. रायचन्द
2. देवाराम पुत्रगण भगवानाराम
   समस्त जाति बिश्नोई निवासी पनावली तहसील गुडामालानी
   जिला बाडमेर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. हराराम पुत्र सरदारा
2. सरूपाराम पुत्र हराराम
3. रेशमी पत्नी राजूराम
4. अशोक कुमार पुत्र राजूराज
5. छोटी बाई पुत्री राजूराम नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता
   श्रीमती रेशमी पत्नी राजूराम
6. धोकला राम पुत्र मिसरी
7. हरलाल पुत्र मिसरी
8. लूम्बाराम पुत्र हापूराम
   सभी जाति बिश्नोई निवासी पनावली तहसील गुडामालानी, बाडमेर
9. बद्रीराम पुत्र बीजाराम जाति सोनी निवासी अरणियाली तहसील
   गुडामालानी जिला बाडमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गुडामालानी, बाडमेर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री शिखर अग्रवाल, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के अन्तर्गत एक वाद ग्राम पनावली स्थित खसरा नम्बर 27 रकबा 125बीघा 12बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या1, 2 व प्रतिवादी संख्या–3 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या–6 व 7 की ओर से जवाबदवा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय दावे, जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर अनुतोष सहित पांच तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्षों की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 26–05–2003 से बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। तत्पश्चात् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 08–08–2003 को बंटवारे की अन्तिम डिक्री पारित की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार, गुडामालानी को विभाजन प्रस्ताव भेजने के लिए अधिकृत किया परन्तु तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से मंगवाये जबकि तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करना धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवश्यक था। उनका कथन है कि विभाजन प्रस्ताव वादीगण की अनुपस्थिति में बिना उनको नोटिस दिये एकतरफा में तैयार किये गये है, जिसमें वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्शाया गया है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार व नियम 18 से 21 में प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुरूप विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये। तत्पश्चात् तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि विभाजन प्रस्ताव पर

अपीलार्थीगण वादीगण के हस्ताक्षर होने से विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण की सहमति मानी जायेगी। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यो की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

7. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का बारीकी से अध्ययन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्कारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के अन्तर्गत एक वाद प्रस्तुत कर ग्राम पनावली स्थित आराजी खसरा नम्बर 27 रीकबा 125बीघा 12बिस्वा में अपना हिस्सा 341/2523 होना कथन करते हुए बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते लुम्बाराम व बद्रीराम की ओर से विवादित आराजी में निहित प्रतिवादी संख्या–1 हराराम का हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रय किये जाने के आधार पर पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारापारित आदेश दिनांक 10–09–2001 से स्वीकार कर क्रेतागण लुम्बाराम व बद्रीराम को प्रतिवादी संख्या–6 व 7 के रूप में पक्षकार संयोजित किया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, प्रतिवादी संख्या–3 के कायम मुकाम एवं प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित पांच तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के बाद उभयपक्ष की बहस

सुनकर निर्णय दिनांक 26–05–2003 से वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 का काउन्टर क्लेम प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पनावली के खसरा नम्बर 27 रकबा 125बीघा 10बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 हरा पुत्र सिरदारा का नाम हटाया जाकर हिस्सा 680/2523 में संयुक्त खातेदारी प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 की घोषित की तथा विवादित आराजी में वादी संख्या– 1व 2 की अंकित 341/2523 हिस्से की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या–6 व 7 की घोषित 680/2523 हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार, गुडामालानी को कमिश्नर नियुक्त किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्देशों की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13–06–2003 को हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये, जिस पर तहसीलदार, गुडामालानी द्वारा काउन्टर हस्ताक्षर दिनांक 21–07–2003 को किये जाकर विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है। साथ ही बंटवारे के वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 में प्रावधित प्रावधानों की पालना भी प्रथम दृष्टया नहीं की गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारे के वाद में अन्तिम डिक्री पारित की गयी है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी,

बाडमेर द्वारा पारित निर्णय वं डिक्री दिनांक 04–02–2004 एवं सहायक कलक्टर मुख्यालय बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–08–2003 को निरस्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बंटवारे के वाद में पारित प्राथमिक डिक्री के अनुरूप उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से विभाजन के प्रस्ताव तलब करने के उपरान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 में प्रावधित प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्ष को सुनकर बंटवारे की अन्तिम डिक्री पारित करें।

12. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मुख्यालय बाडमेर के न्यायालय में दिनांक 04–11–2019 को उपस्थिति होकर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
अध्यक्ष